



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के प्रयास में 02 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-145/2017 धारा- 307 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय जिला एवं सत्र कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.अनिल 2.मिलन निवासीगण- ग्राम ममना थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000-10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी राजेश कुमार  
शुक्ला



विवेचक-  
उ०नि० अखिलेश  
यादव



पैरोकार- थाना जलालपुर  
हे०का० मनोज कुमार